सत्यमेव जयते

Case No. 87/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-2567/JH/378/2025-RO-RNC/RU-IV

श्री नमन प्रियेश लकड़ा
उपायुक्त,
जिला - देवघर ,
उपायुक्त कार्यालय
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: dc-deo@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **09/10/2025** को **13:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1 (i) अभ्यावेदक श्री लोबीन सोरेन, पितावा सोरेनश्री चन्द ०स्व -, साकिनबदिया-ग्राम-, थाना एवं अंचल-करौं, अनुमण्डलमधुपुर-, जिला से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखण्ड) देवघर-"संताल आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने" के संबंध में ।

(ii) उपायुक्त – सह – दंडाधिकारी का कार्यालय, देवघर पत्र सं 996/विधि दिनांक 07.07.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 01/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Copy to:- NIC for uploading